झारखण्ड सरकार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला भू अर्जन शाखा)

ज्ञापांक–226....../भू अ०, दिनांक–15/3/18

प्रेस विज्ञप्ति

भू अर्जन अधिनियम–2013 एवं झारखण्ड भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के तहत् विभिन्न पथ एवं अन्य परियोजना हेतु अधियाचित भूमि का अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय अन्य संरचनाओं का निर्माण नहीं करने से संबंधित हितबद्ध रैयतों को दैनिक समाचार के माध्यम से अवगत कराते हुए निर्गत अधिसूचना की प्रति भी रैयतों को उपलब्ध करायी जाती है।

एत्द द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पुनः हितबद्ध रैयतों एवं जन सामान्य को आगाह किया जाता है कि अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात अर्जनाधीन भूमि पर यदि मकान एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता है तो ऐसे प्राप्त मामले में मकान एवं अन्य संरचना का किसी भी प्रकार की मुआवजा देय नहीं होगा तथा संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध विधि सम्मत एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

12/3/18
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

12-03-2018
अपर समाहर्त्ता
देवघर

12/3/18
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
देवघर।